प्रकरण संख्या : [illegible]
दायर दिनांक : 31.07.2020

अनवान

1. पेमा पिता भीमड़ा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
2. बाली पत्नि भीमड़ा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
3. लादू पिता भीमड़ा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
4. कमला पुत्री रामा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
5. छगना पिता रामा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
6. जवारा पिता होकमा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
7. धापू पत्नि होकमा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
8. नाना पिता हीरा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
9. नाराण पिता खाना बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
10. भूरी पत्नि खाना बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
11. भूला पुत्री रामा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
12. सुखा पिता खाना बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
13. सांवरा पिता होकमा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
14. सोहन पुत्री रामा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामसुख पिता कजोड़ जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री अनील पारीक (अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 01.01.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता में स्थित भूमि आराजी संख्या 43, 44, 1005/862, 36, 37, 38, 41, 42 चीत संख्या 39, चाह संख्या 16, 15, 17 भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण आने जाने व टेक्टर व संजबेल लाते ले जाने के लिए ग्राम रलायता से रेकॉर्डेड रास्ते आराजी नम्बर 113 से होकर आराजी नम्बर 92 गेर मुमकिन नाडी के दक्षिणी भाग पर होकर आराजी नम्बर 34 विपक्षी रामसुख जाट की भूमि के दक्षिणी मेर पर होकर आराजी नम्बर 44 जो प्रार्थीगण की है उसमें पहुँचते है। आराजी नम्बर 44 व 36, 35 के पूर्वी मेर पर होकर आराजी नम्बर आ0 चाह 16 पर पहुँचते है। एवं प्रार्थी आराजी नम्बर 35 [illegible] चा0 39 पर पहुँचते है। आराजी नम्बर 44, 39, 16 आ0 चा0 है जो प्रार्थी[illegible] मिलाती है जिस पर किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रार्थीगण [illegible] होकर आराजी नम्बर 92,34 गेर मुमकिन नाडी की दक्षि[illegible] उपयोग उपभोग [illegible]र पीढी करते चले आ रहे है। लेकिन विपक्षी रामसुख जाट [illegible] उक्त रास्ते को दि[illegible].07.2020 को अवरूद्ध कर दिया मौके पर उक्त रास्ता 15 [illegible] चौड़ा रास्ता है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के अभाव में अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 43,44,1005/862,36,37,38,41,42,39,16,15,17 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 34,92, 44,36 व 35 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

दिनांक 19.11.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2618 दिनांक 11.11.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता की आराजी संख्या 43,44,1005/862,36,37,38,41,42,39,16,15,17 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 34 व 92 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थनापत्र की मौका जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक धामनिया से करवाई है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 92 जो राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गे0मु0 नाड़ी दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थी की खाते की आराजी में पहुँचने के लिए बीच में नाड़ी आती है। नाड़ी में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गे0मु0 नाला अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है।

दिनांक 16.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 19.11.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 43,44,1005/862,36,37,38,41,42,39,16,15,17 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 34 व 92 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 92 जो राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गे0मु0 नाड़ी दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थी की खाते की आराजी में पहुँचने के लिए बीच में नाड़ी आती है। नाड़ी में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गे0मु0 नाड़ी अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 43,44,1005/862,36,37,38,41,42,39,16,15,17 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 34 व 92 में से रास्ते हेतु मांग की है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 92 जो राजस्व रिकार्ड में गे0मु0 नाड़ी दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। नाड़ी में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गे0मु0 नाड़ी अब्दुल रहमान प्रकरण से बाधित है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 01.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ... गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned with CamScanner